भाग दो (ब)

प्रस्तर: 2 सीमांत क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2017-18 मे कार्यदाई संस्थाओं को निर्गत ` 153.32लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना।

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की विकासात्मक/ मूलभूत सुविधाओं/ आवश्यकताओं को विकसित करना है जिनसे उनके आजीविका सृजन एवं सामाजिक आर्थिक उन्मूलन में वृद्धि हो। उक्त योजना के तहत कल्याणकारी कार्य किए जाने होते है जैसे-माडल गांवों को विकसित करना एवं सचल जनसंचार एवं बाजार केंद्र आदि का निर्माण किया जाना होता है। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के तहत जिन कार्यों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि निर्गत की गयी थी उसका विवरण निम्न प्रकार है-

(वर्ष 2017-18) (धनराशि लाख मे)

क्रम संख्या	**कार्यदायी संस्था का नाम**	**स्वीकृत कार्यों कीसंख्या**	**स्वीकृत धनराशि**	**कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि**
1	खण्ड विकास अधिकारी भटवाड़ी	15	116.08	104.47
2	स्व्जल विभाग उत्तरकाशी	01	6.00	5.40
3	जल संस्थान	03	26.59	23.93
4	उरेड़ा	02	31.17	28.05
5	स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी	02	17.00	15.30
6	उध्यान विभाग	01	4.59	4.13
7	लो० नि० वि० भटवाड़ी	02	13.45	12.11
8	शिक्षा विभाग	02	22.00	18.97
	योग	28	236.88	212.36

उपर्युक्त कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे स्वीकृत धनराशि `244.52 लाख के सापेक्ष ` 221.03 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत की गयी थी। दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि का उपयोग करके निर्धारित समय के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था ताकि ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण दारा शासन को समय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा सके। आगे अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे निर्गत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्थाओं से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कार्यों के पूर्ण होने के बारे मे अध्यतन स्थिति उपलब्ध है।

उपर्युक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्यों को पूर्ण करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष मे ही किया जाना था अभिकरण के पास कार्यों की अध्यतन स्तिथि उपलब्ध नहीं है।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।